

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26-अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/प्रांगण-सम्पदा/46/73/विविध/2022/1038 भोपाल, दिनांक 06/10/2022
प्रति,

01. संयुक्त संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय----- (समस्त)

02. कार्यपालन यंत्री,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी संभाग----- (समस्त)

विषय- प्रांगण/सम्पदा शाखा से संबंधित स्थाई बिन्दुओं पर सतत कार्यवाही कर प्रतिवेदन भेजने बावत।

संदर्भ- कार्या. पत्र क्र/बोर्ड/सम्पदा/46/73/विविध/2022/690-691 दिनांक 23/06/22 में किए गए संशोधन पत्र क्र 80-81 दि 23/06/2022, पत्र क्र 938-39 दिनांक 01/09/2022 एवं पत्र क्र 958 दिनांक 06/09/2022


प्रदेश के कृषि उपज मंडी समिति तथा बोर्ड कार्यालयों की प्रांगण सम्पदाओं के संबंध में विषयान्तर्गत निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रभावी तथा तत्पर कार्यवाही करने के निर्देश एकाधिक पत्रों-परिपत्रों-आदेशों से दिये गये हैं:-

- (1)- मंडियों, अक्रियाशील मंडी/उपमंडी की रिक्त भूमि, निमित्त संरचना की भूमि तथा भूमि किस प्रकार से प्राप्त है स्वामित्व की जानकारी। (प्रपत्र-1 संलग्न है)
- (2)- रिक्त भूमि पर उपयोगी अवसंरचना विकास हेतु मास्टर प्लान/ले-आऊट निर्धारण, पुर्नघट्टीकरण हेतु प्रस्ताव तैयार कर भेजना। (प्रपत्र-2 संलग्न है)
- (3)- मंडियों की भूमि का स्वामित्व नामांतरण पूर्ण कराना। (प्रपत्र-3 संलग्न है)
- (4)- स्थाई/अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया जाना सुनिश्चित करें। (प्रपत्र-4 संलग्न है)
- (5)- पुरानी मंडियों को नवीन प्रांगणों में स्थानांतरण की कार्यवाही पूर्ण करावें। (प्रपत्र-5 संलग्न है)
- (6)- पुराने रिक्त प्रांगण में पुर्नघट्टीकरण योजना का प्रस्ताव तैयार कर भेजे। (प्रपत्र-6 संलग्न है)

- (7)- 'अ' वर्ग की प्रमुख मंडियों को अत्याधुनिक हायटेक स्मार्ट बनाने की कार्यवाही करें। (प्रपत्र-7 संलग्न है)
- (8)- प्रत्येक संभाग में एक सर्व-सुविधायुक्त टर्मिनल मार्केट विकसित कराना। (प्रपत्र-8 संलग्न है)
- (9)- रिक्त गोदाम, शॉपकम गोदाम एवं सन्ड्रीशॉप के आवंटन हेतु कार्यवाही करें, आवंटन न होने पर निर्माणकर्ता का दायित्व निर्धारण करें। (प्रपत्र-9 संलग्न है)
- (10)- मंडियों में स्थित समस्त भण्डारण क्षमता गोदाम, कवर्ड शेड, ओपन पक्का प्रांगण साईज तथा क्षमता देवे। (प्रपत्र-10 संलग्न है)
- (11)- 2002 के पूर्व के परिपत्रों के तहत आवंटित पुराने लीज नवीनीकरण के प्रकरणों, प्रस्तावों की जानकारी देवे। (प्रपत्र-11 संलग्न है)
- (12)- मंडी सम्पदा से राजस्व की माह वार प्राप्ति तथा बकाया की जानकारी देवे। (प्रपत्र-12 संलग्न है)
- (13)- बोर्ड व मंडी की सम्पदा के निर्माण व मरम्मत के प्रस्ताव तैयार करावे। (प्रपत्र-13 संलग्न है)
- (14)- प्रांगण/सम्पदा के न्यायालयीन प्रकरणों की कार्यवाही की स्थिति देवे। (प्रपत्र-14 संलग्न है)
- (15)- प्रापर्टी मैनेजमेंट पोर्टल पर प्रविष्टियां अपूर्ण है पूर्ण कर सत्यापित कर प्रतिवेदन भेजे। (प्रपत्र-15 संलग्न है)
- (16)- म.प्र. राज्य कृषि उपज (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 के संबंध में जारी पत्र क्रमांक 913 दिनांक 28/09/2021 के तहत अद्यतन सुझाव। (प्रपत्र-16 संलग्न है)
- (17)- बोर्ड/मंडियों की कुल सम्पदा की प्रत्येक साईजवार जानकारी। (प्रपत्र-17 संलग्न है)
- (18)- प्रांगण/सम्पदा से संबंधित (विधान सभा प्रश्न/आश्वासन की अपूर्ण स्थिति, HCM A+, CM Helpline L-4, TL/VIP/प्रकरणों पर की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति) (प्रपत्र-18 संलग्न है)


उपरोक्त बिन्दुओं पर आंचलिक अधिकारी द्वारा प्रतिमाह मंडी सचिव से अद्यतन स्थिति/प्रगति प्राप्त कर मासिक बैठक में समीक्षा की जावे तथा इन बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही/उपलब्धि का प्रतिवेदन (मंगल फांट मे साफ्ट एवं हार्ड कापी) आंचलिक अधिकारी सचिव बैठक के पूर्व दिनांक 15 तक प्रतिमाह ई-मेल ad.mpsamb@gmail.com एवं property.mpsamb@gmail.com पर प्रेषित किया जावे।

उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग द्वारा सहायक यंत्री, उप यंत्री के साथ समीक्षा की जाकर अद्यतन स्थिति/प्रगति से प्रतिमाह 15 तारीख तक अधीक्षण यंत्री के माध्यम से (मंगल फांट में साफ्ट एवं हार्ड कापी) में प्रतिवेदन प्रेषित करें।
(प्रबंध संचालक महोदय के निर्देशित)


अपर संचालक (प्रांगण/सम्पदा)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ0क्रमांक/बोर्ड/प्रांगण-सम्पदा/46/73/विविध/2022/1039 भोपाल, दिनांक 06/10/2022
प्रतिलिपि -

- 1- निज सहायक, प्रबंध संचालक सह आयुक्त, मंडी बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 2- अधीक्षण यंत्री मंडी बोर्ड भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- उप संचालक/सहायक संचालक (प्रांगण/सम्पदा) की ओर अनिर्दिष्ट हेतु।
- 4- अनुभाग अधिकारी/सहायक की ओर सतत फालोअप कार्यवाही हेतु।
- 5- सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति,.....(समस्त)।


अपर संचालक (प्रांगण/सम्पदा)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

(प्रपत्र - 3)

प्रदेश की कृषि उपज मण्डी/उपमंडियों की भूमि का स्वामित्व/की नामांतरण की जानकारी

संक्रमांक	जिला का नाम	मंडी का नाम	उपमंडी का नाम	अधिसूचना दिनांक	वर्गमीटर/हे./रकबा	नामांतरण है अथवा नहीं	नामांतरण न होने की जानकारी कारण सहित	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
योग								

सचिव

कृषि उपज मण्डी समिति.....

जिला.....

कार्यपालन यंत्री

तकनीकी संभाग.....

संयुक्त संचालक

आंचलिक कार्यालय.....

(प्रपत्र - 4)

प्रदेश की कृषि उपज मण्डी/उपमंडियों में अतिक्रमण के संबंध में जानकारी

सरल क्रमांक	जिला का नाम	मंडी का नाम	उपमंडी का नाम	स्थायी अतिक्रमण		अस्थायी अतिक्रमण		अतिक्रमणों की कुल संख्या	अतिक्रमण हटाये जाने हेतु किये गये प्रत्यन	अतिक्रमण अवाधि में पदस्थ सचिव तथा उपयंत्री
				आवंटन तिथी समाप्त के बाद भी वगैर अनुमति के अवैध कब्जा किये हुये हैं।	5	मंडी प्रांगण में गैर आवंटित रिक्त भूमि पर वगैर किसी अनुमति के अवैध कब्जा किये हु + हैं	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
योग										

सचिव
कृषि उपज मण्डी सचिबि
जिला.....

कार्यपालन यंत्री
सकनीकी सहायक.....

संयुक्त संचालक
आंचलिक कार्यालय.....

(प्रपत्र - 5)

प्रदेश की पुरानी कृषि उपज मंडियों को नवीन प्रांगण में स्थानांतरण करने संबंधी जानकारी

संख्या	जिला का नाम	मंडी का नाम	उपमंडी का नाम	नवीन प्रांगण दिनांक तैयार हुआ	पुरानी मंडी दिनांक को प्रांगण में स्थानांतरण किया गया।	यदि नही किया गया तो कब तक किया जावेगा।	रिक्त प्रांगण में प्रस्तावित अवसरचना, प्रजेक्ट	कॉलम 8 में दर्शित पर डीपीआर प्रारूप पूर्ण/तैयार होना है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
योग								

साथिब
कृषि उपज मण्डी समिति.....
जिला.....

कार्यपालन यंत्री
तकनीक शाखा.....

संयुक्त संचालक
आंतरिक कार्यालय.....

(प्रपत्र - 7)

प्रदेश की "अ" वर्ग की कृषि उपज मंडियों को आधुनिक साईटक स्मार्ट बनाने संबंधी

संख्या क्रमांक	जिला का नाम	मंडी का नाम	आधुनिक व साईटक स्मार्ट मंडी बनाने की कार्य योजना	कार्य योजना संबंधी मुख्यालय को प्रेषित प्रस्ताव का क्रमांक व दिनांक	यदि प्रस्ताव नहीं भेजा तो क्यों और कब तक भेजी जावेगी।	टिप्पणियाँ
1	2	3	5	6	7	8
योग						

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
जिला.....

कार्यपालन यंत्री
तकनीकी संभाग.....

संयुक्त संचालक
आंचालिक कार्यालय.....

(प्रपत्र - 8)

प्रत्येक संभाग में एक सर्वसुविधायुक्त टर्मिनल मार्केट विकसित करना

संख्या	जिला का नाम	मंडी का नाम	सर्वसुविधायुक्त टर्मिनल मार्केट विकसित करने की कार्य योजना	कार्य योजना संबंधी मुख्यालय को प्रेषित प्रस्ताव का क्रमांक व दिनांक	यदि प्रस्ताव नहीं भेजा तो क्या और कब तक भेजी जावेगी।	टिप्पणियाँ
1	2	3	5	6	7	8
योग						

सचिव

कृषि उपज मण्डी समिति

जिला.....

कार्यपालन यंत्री

संकेतकी संभाग.....

संयुक्त संचालक

आंचालिक कार्यालय.....

(प्रपत्र - 15)

प्रापटी मैनेजमेंट पोर्टल पर प्रत्येक जानकारी की शुद्धता का सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र का प्ररूप

कृषि उपज मण्डी समिति.....जिला.....

क्रमांक/मंडी/प्रापटी मैनेजमेंट/2022

दिनांक.....

सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र

कृषि उपज मण्डी समिति.....जिला-----द्वारा प्रापटी

मैनेजमेंट पोर्टल में मंडी/उपमंडी/प्रांगणों में स्थित-उपलब्ध समस्त सन्पदाओं की प्रविष्टि कराई गई है। जिन्हें अभिलेखों से भी सत्यापित कर लिया गया है।

उपयंत्री

कृषि उपज मण्डी समिति.....

जिला.....

सहायक यंत्री

कृषि उपज मण्डी समिति.....

जिला.....

सचिव

कृषि उपज मण्डी समिति.....

जिला.....

(प्रपत्र - 16)

म.प्र. राज्य कृषि उपज (भूमि एवं संरचना का आवटन) नियम 2009 के संबंध में प्रस्ताव/सुझाव

संरल क्रमांक	जिला का नाम	मंडी का नाम	भूमि एवं संरचना का आवटन नियम 2009 के वर्तमान प्रावधान	प्रावधान से कठिनाई	कठिनाई उन्मूलन हेतु प्रस्तावित संशोधन	कारण/संशोधन से लाभ
1	2	3	4	5	6	7

सचिव

कृषि उपज मण्डी समिति
जिला.....

कार्यपालन यंत्री
तकनीकी संभाग.....

संयुक्त संचालक
आंचलिक कार्यालय.....

(प्रपत्र - 17)

प्रदेश में स्थित बोर्ड/मंडी की कुल साईजवार सम्पदा की जानकारी

सरल क्रमांक	जिला का नाम	मंडी का नाम	उप मंडी का नाम	सम्पदा का प्रकार	सम्पदा का साईज/आकार	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
योग						

साचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
जिला.....

कार्यपालन यंत्री
तकनीकी संभाग.....

संयुक्त संचालक
आंचलिक कार्यालय.....

